



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120]
No. 120]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 18, 2008/फाल्गुन 28, 1929
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 18, 2008/PHALGUNA 28, 1929

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2008

सा.का.नि. 186(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29), की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2008 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 में,—

(i) अनुसूची-1 में,

(क) क्रम संख्या 3 में, 'तेल परिष्करण उद्योग' और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानक
1	2	3	4
क- बहिःस्राव			
			सांद्रण सीमा (मि.ग्रा./लीटर पी एच को छोड़कर)
" 3.0	पेट्रोलियम तेल परिष्करण	1. पी एच	6.0-8.5
		2. तेल और ग्रीस	5.0
		3. बी ओ डी ₃ दिन 27° C	15.0
		4. सी ओ डी	125.0
		5. निलंबित ठोस	20.0
		6 फिनाँल्स	0.35
		7. सल्फाईड्स	0.5
		8. सायनाइड	0.20
		9. नाइट्रोजन के रूप में अमोनिया	15.0
		10. टी के एन	40.0
		11. फास्फोरस	3.0
		12. क्रोमियम (हेक्सावैलेंट)	0.1
		13. क्रोमियम (कुल)	2.0
		14. सीसा	0.1
		15. पारद	0.01
		16. जस्ता	5.0
		17. निकिल	1.0
		18. तांबा	1.0
		19. वेनेडियम	0.2
		20. बेंजिन	0.1
		21. बेन्जो (ए)- पाइरिन	0.2

1	2	3	4
		<p>टिप्पण :</p> <p>(i) औद्योगिक बहिस्त्राव के निकास बिन्दु (समुद्री जल द्वारा शीत कारक प्रणाली को छोड़कर) जहां निस्त्राव ग्रहणीय पर्यावरण (सतही जल संशोधन, समुद्री जल प्रणाली अथवा मल-जल तंत्र) में मिलता है, सांद्रण सीमाएं अनुपालित की जायेंगी। सिंचाई/बागवानी परियोजनाओं के लिए (रिफाइनरी के भीतर अथवा बाहर के परिसर में) उपचारित बहिस्त्राव से सीधी सिंचाई की दशा में, शीतकारक प्रणालियों, अग्नि शमन आदि के लिए पूरकजल के मामले में निकासी (बिन्दु पर) ऐसे अनुप्रयोग के लिए बहिस्त्राव को लेते समय सांद्रण सेवाओं का अनुपालन किया जाएगा। तथापि, इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का प्रयोग जैसे कि डिस्ऑल्टर में क्षारीय जल का प्रयोग अनुपालन के प्रयोजनार्थ शामिल नहीं है।</p> <p>(ii) समुद्री जल शीतलन के चक्रण की दशा में, शीतकारक प्रणाली से ब्लो डॉउन को पी एच और तेल व ग्रीस के लिए मानीटर किया जाएगा। (यदि शीत जल को क्रोमेट उपचारित किया जाता है तो हेक्सावैलेंट और क्रोमियम की कुल मात्रा भी) और इन मानदण्डों के लिए सांद्रण सीमाओं का अनुपालन किया जाएगा। शीत जल के पूरकजल रूप में शोधित बहिस्त्राव के पुनः प्रयोग की स्थिति में सभी मानदण्ड (शोधित बहिस्त्राव के लिए मान्य) निर्धारित मानकों के अनुरूप मॉनीटर किए जाएंगे और अनुपालित किए जाएंगे।</p> <p>(iii) समुद्री जल द्वारा एक बार शीतलन करने पर तेल और ग्रीस की शीत जल बहिस्त्राव में मात्रा 1.0 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं होगी।</p>	

ख. उत्सर्जन

(क)	(भट्टी, बॉयलर और शक्ति संयंत्र)	सान्द्रण सीमा मिली ग्राम/नार्मल घन मीटर, यदि उल्लिखित न हो		
		ईंधन का प्रकार	विद्यमान तेल परिष्करणी	नई चालू की गई तेल परिष्करणी/भट्टी/बॉयलर
		गैस	50	50
		द्रव	1700	850
		गैस के	350	250
		द्रव	450	350

1	2	3	4		
		विविक्त कण	गैस	10	5
			द्रव	100	50
		कौर्बन मानोक्साईड	गैस	150	100
			द्रव	200	150
		निकिल + वेनाडियम	द्रव	5	5
		ईंधन गैस में हाइड्रोजन सल्फाईड (H ₂ S)	द्रव/गैस	150	150
		द्रवीय ईंधन गन्धक की मात्रा भार प्रतिशत	द्रव/गैस	1.0	0.5
		<p>टिप्पण :</p> <p>(i) मिश्रित ईंधन (गैस और द्रव) उपयोग की दशा में गैस और द्रवीय ईंधनों द्वारा आपूर्ति की गई उष्मा के आधार पर सीमा की संगणना की जाएगी ।</p> <p>(ii) सभी भट्ठियां/बायलर, जिनकी उष्मा आवश्यकता एक करोड़ किलो कैलोरीज/ प्रति घंटा या अधिक है में सल्फर डाइआक्साइड और नाइट्रोजन के आक्साइड के प्रबोधन के लिए सतत प्रबोधन प्रणाली होगी । इस प्रकार की भट्ठियों बायलरों के लिए सभी उत्सर्जन पैरामीटर के मापन हेतु मानीटरी दो मास में एक बार की जानी चाहिए ।</p> <p>(iii) ऐसी भट्ठी/बायलरों जिनकी उष्मा आवश्यकता एक करोड़ किलो कैलोरीज/प्रतिघंटा से कम है, में सभी उत्सर्जन पैरामीटरों का मापन, तीन मास में एक बार किया जाएगा ।</p> <p>(iv) सतत प्रबोधन प्रणाली की स्थिति में, एक घंटे के औसत सान्द्रण के मूल्य का अनुपालन, एम मास में अधिकतम 98% समय में किया जायेगा । मैन्चुल मानीटरी के द्वारा प्रबोधित सान्द्रण मूल्य, यदि सान्द्रण सीमा से अधिक है, को गैर- अनुपालन माना जायेगा ।</p> <p>(v) द्रवीय ईंधन में निकिल और वेनेडियम की मात्रा संबंधी आंकड़ों का विवरण दिया जायेगा । यदि द्रवीय ईंधन स्रोत और गुणवत्ता परिवर्तित नहीं होते हैं, तो द्रवीय ईंधन में निकिल और वेनेडियम की मात्रा छह मास में कम से कम एक बार मापी जानी चाहिए । परिवर्तनों की दशा में हर परिवर्तन के पश्चात् मापन आवश्यक है ।</p>			

1	2	3	4		
			सांद्रण सीमा मिली ग्राम/नार्मल घन मीटर यदि उल्लेखित न हो		
			निवर्तमान तेल परिष्करणी	नई तेल परिष्करणी/एफ सी सी	
			हाइड्रो शोधित एफ सी सी संभरण	हाइड्रो शोधित एफ सी सी संभरण से भिन्न	
	(एफ सी सी जनित्रों)	सल्फर डाईआक्साइड (SO ₂)	500	1700	500 (हाइड्रो शोधित संभरण के लिए) 850 (अन्य फीड के लिए)
		नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NO _x)	400	450	350
		विविक्त पदार्थ (PM)	100	100	50
		कार्बन मोनोक्साइड (CO)	400	400	300
		निकिल और वेनेडियम(Ni+V)	2	5	2
		अपारदर्शिता, %	30	30	30
		टिप्पणः			
		<p>I. यदि हाइड्रो शोधित संभरण शत-प्रतिशत न हो तो उत्सर्जन मान अशोधित और शोधित संभरण की संभरण दरों के अनुपात में संगणित किया जाएगा ।</p> <p>II. SO₂ और NO_x के प्रबोधन के लिए एफ सी सी जनित्र सतत प्रबोधन प्रणाली से जुड़े होने चाहिए । यदि सतत प्रबोधन की स्थिति में प्रतिघंटा औसत सांद्रण मान किसी भी मास में 98% समय पर अनुपालित किए जायेंगे । दो मास में एक बार सभी उत्सर्जन पैरामीटरों के लिए मैन्युअल प्रबोधन किया जाए ।</p> <p>III. मैन्युअल प्रबोधन के द्वारा किसी भी प्राप्त किए गए सान्द्रण मान, यदि वे सान्द्रण मान की सीमा से अधिक होंगे तो यह गैर अनुपालना समझी जाएगी ।</p>			

1	2	3	4
		<p>iv. सल्फर (भार प्रतिशत में) निकिल (दस लाखवां हिस्सा - पी पी एम) और वेनेडियम (पी पी एम) से संबंधित आंकड़े नियमित रूप से सूचित किए जाएंगे।</p> <p>v. कार्बन मोनो ऑक्साइड उत्सर्जन की सीमा को सामयिक रख-रखाव के लिए कार्बन मोनो आक्साइड बायलर के वार्षिक रूप से बंद किए जाने के दौरान के सिवाय अनुपालना की जाएगी।</p>	

		प्लान्ट क्षमता (टन/प्रतिदिन)	निवर्तमान गन्धक इकाई	नई गन्धक प्रति प्राप्ति इकाई अथवा तेल परिष्करण
{ गन्धक प्रतिप्राप्ति इकाई	गन्धक प्रतिप्राप्ति, %	20 से ऊपर	98.7	99.5
	H ₂ S, मि.ग्रा/घन मी. नार्मल		15	10
	गन्धक प्रतिप्राप्ति %	5-20	96	98
	गन्धक प्रतिप्राप्ति %	1-5	94	96

1	2	3	4	
		नाइट्रोजन के आक्साइड मिली ग्राम/नार्मल घन मीटर	सभी क्षमता 350	250
		कार्बन मोनोक्साइड मिली ग्राम/नार्मल घन मीटर	सभी क्षमता 150	100
		<p>टिप्पण:</p> <p>(i) 20 टन प्रति दिन से ऊपर की क्षमता वाली सल्फर रिकवरी यूनिटों के लिए SO₂ के प्रबोधन के लिए सतत प्रबोधन प्रणाली होनी चाहिए। सभी उत्सर्जन पैरामीटरों के लिए मैन्युअल प्रबोधन मास में एक बार किया जाएगा।</p> <p>(ii) सल्फर डाइआक्साइड उत्सर्जनों (मिलीग्राम/नार्मल घनमीटर) पर सल्फर डाइआक्साइड के आंकड़े नियमित रूप से सूचित किए जाएंगे।</p> <p>(iii) गन्धक प्रतिप्राप्ति इकाई को पोषित गन्धक की मात्रा और रिकवर्ड गन्धक की मात्रा का प्रयोग करते हुए, मासिक आधार पर गन्धक रिकवरी क्षमता को परिकलित किया जाएगा।</p>		

ग अस्थायी उत्सर्जन

वाष्पित द्रव का भण्डारण : साधारण पेट्रोलियम उत्पाद

- (1) 4 से 75 घन मीटर के बीच की क्षमता वाले भंडारण टैंक और कुल वाष्प दबाव दस किलो पास्कल से अधिक हो, को टंकी की स्थाई छत की स्थिति में प्रेशर वाल्व निकास छिद्र सहित होना चाहिए।
- (2) 75 से 500 घनमीटर की क्षमता वाले भंडारण टैंक और कुल वाष्प दबाव 10 से 76 किलो पास्कल वाला होना चाहिए, टंकी की आन्तरिक तैरती छत अथवा टंकी की बाह्य तैरती छत अथवा वाष्प की रोकथाम अथवा वाष्प संतुलन प्रणाली सहित टंकी की स्थायी छत होनी चाहिए।
- (3) 500 घनमीटर से अधिक क्षमता सहित भंडारण टैंक कुल वाष्प दबाव 10 से 76 किलो पास्कल का होना चाहिए, टंकी की आन्तरिक तैरती छत अथवा टंकी की बाह्य तैरती छत अथवा वाष्प रोकथाम प्रणाली सहित टंकी की स्थायी छत होनी चाहिए।
- (4) 75 घनमीटर से अधिक क्षमता सहित टैंक और कुल वाष्प दबाव 76 किलो पास्कल से अधिक होना चाहिए, वाष्प रोकथाम प्रणाली सहित टंकी की स्थायी छत होनी चाहिए।
- (5) 'तैरती छतों वाली टंकियों में सीलें करने के लिए अपेक्षा:
 - (i) (क) 96% की न्यूनतम वाष्प रिकवरी सहित टंकी की आन्तरिक तैरती छत और टंकी बाह्य तैरती छत दो सील सहित मुहैया कराई जाएंगी।
 - (ख) प्रारम्भिक सील टंकी बाह्य तैरती छत के लिए तरल अथवा जूते की तरह मढ़ी होगी और वाष्प पर मढ़ी टंकी की आन्तरिक तैरती छत के लिए होगी। सील अन्तराल की अधिकतम चौड़ाई 4 से.मी. होगी और अधिकतम अन्तराल क्षेत्र टैंक के व्यास का 200 सेमी²/मी⁰ होगा।
 - (ग) दूसरी सील रिम पर मढ़ी होगी। सील अन्तराल की अधिकतम चौड़ाई 1.3 सेमी होगी और अधिकतम अन्तराल क्षेत्र टैंक के व्यास का 20 सेमी²/मी⁰ होगा।
 - (घ) सील की सामग्री और निर्माण उच्चतम निष्पादन स्थायित्व वाला सुनिश्चित किया जाएगा।
- (ii) स्थायी छत वाले टैंक की 95% की वाष्प नियन्त्रण कुशलता होगी और वाष्प संतुलन कुशलता 90% की होगी।
- (iii) स्टोरेज टैंको का निरीक्षण और रखरखाव कड़े नियंत्रण के अधीन होगा। निरीक्षण के लिए APIRP 575 को अपनाया जाए। सील गैप के संबंध में इन सर्विस निरीक्षण छह महीने में एक बार किया जाएगा और मरम्मत अल्प समय में की जाएगी। भविष्य में दोनों सीलों की ऑन स्ट्रीम मरम्मत की संभावना की जांच पड़ताल की जाएगी।

वाष्पशील द्रव्यों का भण्डारण: बैन्जीन भंडारण :

- (1) भस्मीकरण के वाष्प से स्थायी छत वाले टैंक बोलेटाइल आर्गेनिक कम्पाउंडों (VOC) के लिए 99.9% तक की रिमूवल क्षमता होगी, उसे प्रदान किया जाएगा।
- (2) टैंकी की आन्तरिक तैरती छत / बाह्य तैरती छत डबल सीलों, उत्सर्जन, न्यूनीकरण रुफ फिटिंग और जो स्थायी छत के साथ वेपर रिमूवल क्षमता कम से कम 99% की हो, प्रदान की जाएगी

ल्यूब आधारित तेल उत्पादन (फर फूरल, एन.एम.पी., एम.ई.के., टोल्यून और एम आई बी के) के लिए विलायक

97% की कम से कम वाष्प रिमूवल क्षमता के साथ दोहरी सीलों और इनर्ट गैस ब्लैकिंग सहित आई.एफ.आर.टी.प्रदान की जाएगी।

रोड टैंक ट्रक/रेल टैंक वेगन लोडिंग के लिए उत्सर्जन नियंत्रण			
बोलेटाइल उत्पादों की लदाई	गैसोलीन और नाथपा	(i) 99.5	
	(i) वीओसी ह्रास%	(ii) 5	
	(ii) उत्सर्जन, ग्राम/ एम ³		
	बैन्जीन:	(i) 99.99	
	(i) वीओसी ह्रास %	(ii) 20	
	(ii) उत्सर्जन, मि0ग्राम/ एम ³		
	टोल्यून/जाईलीन :	(i) 99.98	
	(i) वीओसी ह्रास %	(ii) 150	
	(ii) उत्सर्जन, मि0ग्राम/ एम ³		
	टिप्पण :		
	(i) यह गैसोलीन, नाथपा, बैन्जीन, टोल्यून और जाईलीन लोडिंग के लिए प्रयोज्य होगा।		
	(ii) रोड टैंक ट्रक बाटम लोडिंग रखेंगे और रेल टैंक वेगन टाप सबमर्ज्ड लोडिंग रखेंगे।		
	(iii) वेपर कलेक्शन के लिए वार्षिक रिसाव टैस्टिंग की जाएगी।		

उपकरण के रिसाव के लिए मानक

- (1) अभिगम : उपकरण रिसाव से फ्यूगिटिव उत्सर्जन नियंत्रित करने के लिए अभिगम के लिए उपयुक्त चयन, स्थापन और लीक न करने वाले अथवा लीक टाइट उपकरण का रखरखाव रखना होगा। शुरुआती टेस्टिंग करने पर शुरुआत के बाद रिसाव का पता लगाने के लिए मानीटरी का स्थायी तौर पर चालू रिसाव डिटेक्शन और रिपेयर (एल डी ए आर) कार्यक्रम चलाया जाएगा। अन्तिम रूप से पता लगाई गई रिसाव की अनुमेय समय सीमा में मरम्मत की जानी है।

- (2) ढके जाने वाले उपकरण एल डी ए आर कार्यक्रम के अधीन ढके गए उपकरण सम्मिलित होंगे (i) ब्लाक वाल्व्स; (ii) कंट्रोल वाल्व्स; (iii) पम्प सीलें; (iv) कम्प्रेसर सीलें; (v) प्रेशर रिलीफ वाल्व्स; (vi) फलैन्ज- हीट एक्सचेंजर्स; (vii) फलैन्ज- पाईपिंग; (viii) कनेक्टर्स-पाईपिंग; (ix) ओपन एन्डिड लाइनें; और (x) सैम्पलिंग कनेक्शन्स । 1.875 सें.मी. अथवा 3/4 इन्च से अधिक उपकरण और लाइन आकार कवर किए जाने हैं ।
- (3) लागू होना : एल डी ए आर प्रोग्राम उन उपकरणों पर निम्नलिखित घटकों/यौगिकों पर लागू होगा (जो ऊपर 2 पर दिए गए हैं) (i) हाइड्रोकार्बन गैसों (ii) लाईट लिक्विड वेपर प्रेशर सहित @ 20 सी > 1.0 के पी ए और (iii) हैवी लिक्विड वाष्प प्रेशर सहित @ 20 सी 0.3 से 1.0 के पी ए के बीच ।
- (4) जबकि एल डी ए आर वाष्प दाब < 0.3 के पी ए के साथ हैवी लिक्विड के लिए प्रयोज्य नहीं होगी, यह वांछनीय होगा कि लिक्विड ड्रिपिंग की लीक के संकेतक के रूप में जाँच की जाए ।
- (5) रिसाव की परिभाषा: रिसाव को बी ओ सी सांद्रण के डिटेक्शन के रूप में नीचे दी गई विशिष्टियों के अनुसार (पी पी एम में) उत्सर्जन स्रोत पर वैल्यूज से अधिक हो जिसे कि मापन प्रोटोकाल (यू एस ई पी ए - 453/आर 95- 017) 1995 प्रोटोकाल के अनुसार हाइड्रोकार्बन एनालाईजर का प्रयोग करते हुए की गई हो, जो कि उपकरण रिसाव उत्सर्जन आकलनों को निम्न से संदर्भित हों :-

उपकरण	जनरल हाइड्रोकार्बन (पीपीएम)		बेन्जीन (पीपीएम)	
	31 दिसम्बर, 2008 तक	1 जनवरी, 2009 से	31 दिसम्बर, 2008 तक	1 जनवरी, 2009 से
पम्प/कम्प्रेसर	10000	5000	3000	2000
वाल्व्स/फलैजेस	10000	3000	2000	1000
अन्य उपकरण	10000	3000	2000	1000

- (6) इसके अलावा किसी उपकरण को यदि दृश्य, ध्वनि अथवा गंध से रिसाव करते हुए पाया जाए भले ही उसका सांद्रण कितना भी हो (लिक्विड ड्रिपिंग, दृश्य वाष्प रिसाव) अथवा बुलबुलों की मौजूदगी को साबुन की झाग से देखा गया हो, तो उसे रिसाव समझा जाए।
- (7) मानीटरिंग अपेक्षाएं और मरम्मत शेड्यूल: रिसाव के लिए निम्नलिखित मानीटरी की बारम्बारता और रिसाव की मरम्मत का शेड्यूल इस प्रकार अनुसरित किया जाए :-

उपकरण	मानीटरी की आवृत्ति	रिपेयर शेड्यूल
	त्रैमासिक (सेमिवार्षिक दो निरन्तर अवधियों के बाद <2% रिसाव के साथ और वार्षिक 5 अवधियों के बाद < 2% रिसाव के साथ)	रिपेयर 5 कार्य दिवसों के भीतर शुरू की जाएगी और इसे जनरल हाइड्रोकार्बनों के लिए लीक के पता चलने के बाद 15 कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा। बेनजीन के मामले में, लीक की तुरन्त मरम्मत की जानी चाहिए।
पम्प सीलें	त्रैमासिक	
कम्प्रेसर सीलें	त्रैमासिक	
प्रेसर रिलीफ डिवाइसिस	त्रैमासिक	
प्रेसर रिलीफ डिवाइसिस (वैटिंग उपरान्त)	24 घन्टे के भीतर	
हीट एक्सचेंजर्स	त्रैमासिक	
प्रक्रिया नालियां	वार्षिक	
वे उपकरण जिन्हें मानीटर किया जाना कठिन है।	वार्षिक	
स्पष्ट तौर पर दिखने वाली लिक्विड ड्रिपिंग सहित पम्प सीलें	तत्काल	तत्काल
प्रत्यक्ष रिसाव सहित कोई भी घटक	तत्काल	तत्काल
मरम्मत /प्रतिस्थापन के बाद कोई भी घटक	5 दिनों के भीतर	-

- (8) किसी भी समूह के घटकों की घटक रिसाव प्रतिशतता 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए, पम्पों/कम्प्रेसरों को छोड़कर यह प्रतिशतता मानीटर की गई। पम्पों/कम्प्रेसरों के मामले में, यह पम्पों/कम्प्रेसरों की कुल संख्या अथवा 3 पम्पों/कम्प्रेसरों, जो भी अधिकतम हो, के 10% से कम होनी चाहिए।
- (9) उत्सर्जन माल सूची : तेल परिष्करणी को संयंत्र में उपकरण घटकों की माल सूची बनानी चाहिए। रिसावों के यांत्रिक माप के बाद, स्तरित उत्सर्जन कारकों अथवा अन्य किसी उमदा

कारकों के प्रयोग (यू एस ई पी ए) द्वारा घटकों में उत्सर्जन की गणना की जाएगी। कुल पलायक उत्सर्जन स्थापित किया जाएगा।

- (10) मानीटरी: रिसावों का पता लगाने के लिए निम्न प्रकार की मानीटरी विधियां विवेकपूर्वक अपनायी जा सकती हैं: (i) रिसाव माप की यांत्रिक विधि, (ii) श्रव्य, दृश्य और घ्राणेन्द्रिय (ए.वी.ओ.) रिसाव पहचान, और (iii) सोप-बबल विधि।
- (11) सभी घटकों के लिए रिसाव संज्ञान के लिए मापन और सान्द्रण मान में लगने वाले समय का डाटा, रिसाव मरम्मत में लगने वाला समय, रिसाव के बाद मापन और सान्द्रण मान में लगने वाले समय को दस्तावेजित करना चाहिए।
- (12) प्रेशर रिलीफ और ब्लो डाउन सिस्टमों को वाष्प एकत्रण और रिकवरी सिस्टम अथवा प्रदीप्ति में छोड़ना चाहिए।
- (13) ओपन-एंडिड लाइन्स, एक ब्लाइंड फ्लेज और प्लग द्वारा बंद की जानी चाहिए।
- (14) सभी रुटिन नमूनों में सम्पूर्णतः बंद लूप प्रयोग की जानी चाहिए।
- (15) वाल्वों के लिए निम्न उत्सर्जन पैकिंग का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- (16) कोर के लिए उच्च अक्षत सिलिंग सामग्री प्रयोग की जानी चाहिए।

घ. अपजल एकत्रण और उपचार में से वी ओ सी के लिए उत्सर्जन मानक

- (1) सभी संदूषित और गन्धित अपजल नदियों को शुरू से लेकर प्राथमिक उपचार स्तर तक बन्द प्रणालियों से संचालित करना चाहिए (तेलीय - जल पृथक्करण और समकरण टैंक)।
- (2) एकत्रण प्रणाली को सीवरों और ट्रेनों पर वाटर सील (ट्रेणों) से और जंकशन बक्सों पर गैस टाइट कवरों से ढकना चाहिए।
- (3) तेलीय - जल पृथक्करण और समकरण टैंकों पर फ्लोटिंग/फिक्सड कवर होने चाहिए। कम से कम 90% वी.ओ.सी. तथा निष्कासित गन्ध को हटाने के लिए ऑफ-गैस जेनरेटिड से उपचार करना चाहिए। प्रणाली डिजाइन में (विस्फोटक मिक्सचर, संभावित प्रसफुटन और प्रभाव को कम करना) नियंत्रण यंत्रों, सील ड्रमों और प्रसफुटन अरेस्टर आदि सहित एल ई एल डिटेक्टर इन्स्टाल करके एयर/इनर्ट गैस से डिल्यूशन द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। सिस्टम को कलैक्शन और प्राथमिक उपचार प्रणाली के सुरक्षित रख-रखाव के लिए डिजाइन और प्रचलित करना चाहिए।
- (4) बिना तनुता के बहिस्साव उपचार प्रणाली के डिस्चार्ज से पहले, एरोमेटिक्स संयंत्रों से निकलने वाले अपजल (बेनजीन और जाईलीन संयंत्र) से बेनजीन और सम्पूर्ण एरोमेटिक्स क्रमशः 10, 20 पी पी एम स्तर तक हटाने के लिए उपचार किया जाना चाहिए।

(ख) तेल परिष्करणी (सल्फर आक्साइड) से संबंधित क्रम संख्या 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ii) अनुसूची VI के भाग ग, -

तेल परिष्करणी उद्योग से संबंधित क्र०सं० 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात्:-

" 1. पेट्रोलियम तेल शोधनशाला

पैरामीटर 1	मानक 2
	क्रि०प्र० में मात्रात्मक सीमा/ प्रोसेस किए गए कूड का 1000 टन
1. तेल और ग्रीस	2.0
2. बीओडी ₃ दिन 27 सी	6.0
3. सी ओ डी	50
4. निलंबित ठोस	8.0
5. फिनाल्स	0.14
6. सल्फाइड्स	0.2
7. सायनाइड	0.08
8. नाइट्रोजन के रूप में अमोनिया	6.0
9. टी के एन	16
10. फासफोरस	1.2
11. क्रोमियम (हेक्सावैलेट)	0.04
12. क्रोमियम(कुल)	0.8
13. सीसा	0.04
14. पारद	0.004
15. जस्ता	2.0
16. निकिल	0.4
17. तांबा	0.4
18. वेनेडियम	0.8
19. बेजिन	0.04
20. बेन्जो (ए)- पाइरिन	0.08

टिप्पणियाँ:

(i) ग्रहणीय पर्यावरण में कुल बहिस्साव (प्रक्रिया बहि-साव, समुद्री शीत जल सहित शीतकारक जल ब्लो डाउन, प्रक्षालन आदि) के डिस्चार्ज के लिए प्रमात्रा सीमा लागू होगी (तेल शोधन संयंत्र के आहते के भीतर सिंचाई/बागवानी के प्रयोजनार्थ भूमि पर सीधे अनुप्रयोग को छोड़कर)

(ii) बहिस्साव की मात्रा को मापने के लिए (रिसीविंग पर्यावरण में डिस्चार्ज के लिए तेल शोधन संयंत्र के अहते के भीतर सिंचाई/बागवानी अनुप्रयोग के लिए और ब्लो डाउन कूलिंग सिस्टम के लिए अलग-अलग) उपयुक्त बहाव मापन उपकरण (जैसे कि वी- नोच, फ्लो मीटर) प्रदान किए जाने चाहिए।

(iii) प्रदूषकों की प्रमात्रा की गणना, सांद्रण मूल्य की दैनिक औसत (24 घंटों का एक मिश्रित नमूना अथवा 3 ग्रेब नमूनों का औसत, जैसा भी मामला हो) दिन के दौरान बहिस्साव का औसत बहाव और तेल शोधन संयंत्र की कूड धूपुट क्षमता के आधार पर की जाएगी।

(iv) बहिस्साव डिस्चार्ज की मात्रा की सीमा (सीवॉटर कूलिंग से ब्लो डाउनको छोड़कर) प्रोसेसड कूड के 400 एम / 1000 टन होगी। तथापि, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित तेल शोधन संयंत्रों में, केवल वर्षा के दिनों में बहिस्साव की मात्रा की सीमा प्रोसेसड कूड के 700 एम / 1000 टन होगी।”

[फा. सं. क्यू-15017/15/2007- सीपीडब्ल्यू]

आर. के. वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- मूल नियम भारत के राजपत्र में का.आ. सं. 844(अ), 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.आ.सं. 433 (अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987, का.आ. 64(अ), तारीख 18 जनवरी, 1988, का.आ. 3(अ), तारीख 3 जनवरी, 1989, का.आ. 190 (अ), तारीख 15 मार्च, 1989, सा.का.नि. 913 (अ), तारीख 24 अक्टूबर, 1989, का.आ. 12 (अ), तारीख 8 जनवरी, 1990, सा.का.नि. 742 (अ), तारीख 30 अगस्त, 1990, का.आ. 23 (अ), तारीख 16 जनवरी, 1991, सा.का.नि. 93(अ), तारीख 21 फरवरी, 1991, सा.का.नि. 95 (अ), तारीख 12 फरवरी, 1992, सा.का.नि. 329 (अ), तारीख 13 मार्च, 1992, सा.का.नि. 475 (अ), तारीख 5 मई, 1992, सा.का.नि. 797 (अ), तारीख 1 अक्टूबर, 1992, सा.का.नि. 386 (अ), तारीख 28 अप्रैल, 1993, सा.का.नि. 422(अ), तारीख 19 मई, 1993, सा.का.नि. 801 (अ), तारीख 31 दिसम्बर, 1993, सा.का.नि. 176 (अ), तारीख 3 अप्रैल, 1996, सा.का.नि. 631 (अ), तारीख 31 अक्टूबर, 1997, सा.का.नि. 504(अ), तारीख 20 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 7 (अ), तारीख 2 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 682 (अ), तारीख 5 अक्टूबर, 1999, सा.का.नि. 742 (अ), तारीख 25 सितम्बर, 2000, सा.का.नि. 72 (अ), तारीख 6 फरवरी, 2001, सा.का.नि. 54 (अ), तारीख 22 जनवरी, 2002, सा.का.नि. 371 (अ), तारीख 17 मई, 2002, सा.का.नि. 489 (अ), तारीख 9 जुलाई, 2002, का.आ. 1088 (अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2002, सा.का.नि. 849 (अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2002, सा.का.नि. 520 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 92 (अ), तारीख 29 जनवरी, 2004, सा.का.नि. 448 (अ), तारीख 12 जुलाई, 2004 शुद्धिपत्र सा.का.नि. 520 (अ), तारीख 12 अगस्त, 2004, सा.का.नि. 272(अ), तारीख 5 मई, 2005, सा.का.नि. 315 (अ), तारीख 16 मई, 2005, सा.का.नि. 464 (अ), तारीख 7 अगस्त, 2006, सा.का.नि. 566 (अ), तारीख 29 अगस्त, 2007 द्वारा उनमें पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए।